डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Applendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर ,चौहटन मुकाम चौहटन

व इजलास ***श्री भागीरथ राम* II, *आर.ए.एस.***

अनवान

वादी – 1.दूदाराम पुत्र मोटाराम, जाति जाट
निवासी जाटों की बस्ती, तहसील चौहटन।

बनाम

प्रतिवादीगण – 1.पूनमाराम 2.सताराम 3.हीराराम 4.केशाराम पि.भूराराम
5. रामूराम 6.जोराराम पि. भीयाराम, जाति जाट
निवासी जाटों की बस्ती, तहसील चौहटन।
7. तहसीलदार एवं उपपंजीयक चौहटन।
8.शाखा प्रबन्धक एसबीबीजे चौहटन।

अधिवक्तागण – वादी वकील – **श्री जगदीश पोटलिया**

प्रतिवादीगण वकील – **एकतरफा**

वाद बाबत 88,53,188 RT Act.

मुकदमा नं. 119/2013

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू.ब.रू. **न्यायालय** बहाजरी **श्री जगदीश पोटलिया** एड. मिनजानिब मुदाई व **श्री** .... एड . मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा **जाटों की बस्ती, पटवार क्षेत्र आंटिया, तहसील चौहटन में खसरा सं. 10 रकबा 15.04 बीघा, खसरा सं. 61 रकबा 00.09 बीघा, खसरा सं. 198/62 रकबा 385.08 बीघा, खसरा सं. 211/133 रकबा 35.05 बीघा, खसरा सं. 221/62 रकबा 00.10 बीघा, कुल रकबा 436.16 बीघा** का आया हुआ है। उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है। लगातार शेष पृष्ट पर........................ बीज .... मबलिग .... बाबत .... पर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज ही तारीख से तारीख व सूलप्राप्ती तक .... को अदा करे।

वसग्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 15.02.2022 को जारी की गई।

दस्तखत...........................

ओहदा ....

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

मुहर

मुदई	रूपया	[illegible]	[illegible]	रूपया	[illegible]
स्टाम्प अर्चीदाया स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प सबूत पइमनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			...तनामा स्टाम्प ... ... खर्चा ... कमीश्नर ... ... हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा दर दो फरीकेन का चाहे बिकरी के जरिये दिलावे .... करना।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:11:13 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	दूदा वल्द मोट, कौम जाट सा.देह खातेदार	जाटों की बस्ती	10 198/62	15.04 130.08	बा.दो. बा.सो.	0.91 6.52	बैंगनी
		योग	**2**	**145.12**	——	**7.43**	**बैंगनी**
2	पूनमा, सता, हीरा, केशा पि. भूरा 1/2, रामूराम, जोराराम पि. भींया 1/2, कौम जाट सा. देह खातेदार	जाटों की बस्ती	61 221/62 211/133 198/62	00.09 00.10 35.05 255.00	गैमुढा गैमुढा बा.दो. बा.सो.	—— —— 02.12 12.75	लाल
		योग	**4**	**291.04**	——	**14.87**	**लाल**

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे।

(भागीरथ राम ।।)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:11:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व वाद सं. 119/2013

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम ॥, आर.ए.एस

अनवान

वादी –	1.दूदाराम पुत्र मोटाराम, जाति जाट निवासी जाटों की बस्ती, तहसील चौहटन।

बनाम

प्रतिवादीगण –	1.पूनमाराम 2.सताराम 3.हीराराम 4.केशाराम पि.भूराराम 5. रामूराम 6.जोराराम पि. भीयाराम, जाति जाट निवासी जाटों की बस्ती, तहसील चौहटन। 7. तहसीलदार एवं उपपंजीयक चौहटन। 8.शाखा प्रबन्धक एसबीआई चौहटन।

अधिवक्तागण – वादी वकील –	**श्री जगदीश पोटलिया**
प्रतिवादीगण वकील –	**एकतरफा**

निर्णय

वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.

दिनांक :– 15.02.2022

न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध पत्रावली श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर को प्रेषित की गई। श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी से उक्त पत्रावली पुनः प्राप्त हुई। प्रकरण से संबंधित विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। माननीय निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पत्रावली तलब करने पर मूल पत्रावली माननीय निबन्धक, राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित की गई।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से पत्रावली पुनः प्राप्त होने पर वादी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 08.02.2022 को प्रार्थना पत्र पेश कर पत्रावली पेशी पर लेकर विधि सम्मत सुनवाई का निवदेन किया। निवदेन स्वीकार कर पत्रावली में सुनवाई हेतु दिनांक 10.02.2022 निहित की गई। दिनांक 10.02.2022 को पत्रावली पेश [illegible] वकील उपस्थित हुए। वादी वकील ने निवेदन किया कि प्रकरण में [illegible] चुका है, अतः वादी वकील की बहस सुनी जावे। वादी वकील की बहस सुनी गई। बह[illegible]र मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। सलंग्न दस्तावेजों एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:11:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

चूंकि वादी अधिवक्ता को तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करने में कोई आपति नहीं है। अतः स्पष्ट होता है कि वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायाहित में तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार **मौजा जाटों की बस्ती, पटवार क्षेत्र आंटिया, तहसील चौहटन में खसरा सं. 10 रकबा 15.04 बीघा, खसरा सं. 61 रकबा 00.09 बीघा, खसरा सं. 198/62 रकबा 385.08 बीघा, खसरा सं. 211/133 रकबा 35.05 बीघा, खसरा सं. 221/62 रकबा 00.10 बीघा, कुल रकबा 436.16 बीघा के आये हुए है।** उक्त विवादित भूमि सारणी में वर्णित हिस्सानुसार पक्षकारों के मध्य निम्नानुसार विभाजन कर पृथक पृथक खाते कायम किये जाते है।

क्र. सं.	खातेदार का नाम मय वल्दियत सकुनत	ग्राम	खसरा नं.	रकबा	किस्म	लगान	बरंग
1	दूदा वल्द मोट, कौम जाट सा.देह खातेदार	जाटों की बस्ती	10 198/62	15.04 130.08	बा.दो. बा.सो.	0.91 6.52	बैंगनी
		योग	**2**	**145.12**	--	**7.43**	**बैंगनी**
2	पूनमा, सता, हीरा, केशा पि. भूरा 1/2, रामूराम, जोराराम पि. भींया 1/2, कौम जाट सा. देह खातेदार	जाटों की बस्ती	61 221/62 211/133 198/62	00.09 00.10 35.05 255.00	गैमुढा गैमुढा बा.दो. बा.सो.	-- -- 02.12 12.75	लाल
		योग	**4**	**291.04**	--	**14.87**	**लाल**

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। फर्द मौका व नक्शा डिक्री का भाग रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:11:13 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथ राम ।।)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन